कमला देवी - संतोष देवी मु. न. 15/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28/2/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...रीमाण्ड................ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 15/2016

1 कमला देवी पुत्री ओमप्रकाश तथा पत्नी ओमप्रकाश जाति बलाई निवासी ग्राम बलोद भाखरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल निवासी ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती संतोष पुत्री भुधाराम तथा पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम बलोद भाखरा तहसील फतहेपुर जिला सीकर राज.। हाल आबाद कस्बा मण्डावा जिला सीकर।
2 सुगनी देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश
3 मोहनलाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश
4 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. ओमप्रकाश
5 केसर पुत्र पूर्णा
6 बनवारीलाल पुत्र धन्ना
7 फुलाराम पुत्र धन्ना
8 रामस्वरूप पुत्र टीकुराम
9 परमेश्वरी पत्नी टीकुराम
10 पुरूषोत्तम पुत्र भगवाना
11 रूकमणी देवी पत्नी भगवाना (नाम हजफ)
12 दरोपती पुत्री भगवाना
13 गुड़ी पुत्री भगवाना
14 ग्यारसी पुत्री भगवाना
15 रामकोरी पुत्री भगवाना
16 बालू पुत्री भगवाना
17 रन्जू पुत्री भगवाना
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बालोद भाखरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
18 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19 जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज.।
20 इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर राज. जरिये प्रबंधक।

रेस्पोडेन्टस

अपील निर्णय विरूद्ध दिनांकित 16.08.2013 अन्तर्गत
मुकदमा नम्बर 105/2011 बउनवानी संतोष बनाम ओमप्रकाश
आदि द्वारा पारित उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर
अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 59/1, 101/1, 56 वाके ग्राम बलोद भांखरा का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश व डिक्री पारित करने वक्त प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को समुचित रूप से रिकार्ड पर न होते हुए भी चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है विधि के इस अनुसरण मे चुनौतीग्रस्त आदेश व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित काश्त भूमियों पर कोई कब्जा काश्त नहीं है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कस्बा मण्डावा जिला झुन्झुनूं में आवास निवास कर रही है। विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं लिये गये इस आधार पर भी जब वाद विधि द्वारा पोषणीय ही नही रहा तो चुनौतीग्रस्त आदेश स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 05.12.2011 को रिलीफ विड्रा कर ली गयी जबकि स्वीकृत रूप से वाद विभाजन का है ऐसी स्थिति में वाद–पत्र मे चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है और नियमानुसार नहीं है। विचारण न्यायालय के द्वारा तहसीलदार फतेहपुर के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर विधि अनुसार अमल नही किया मौका स्थल पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वांदिया का कोई कब्जा काश्त ही नहीं था तो उक्त विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं होने से चुनौतीग्रस्त आदेश व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.08.2013 को पारित चुनौतीग्रस्त आदेश व डिक्री को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपील दायरी में हुये विलम्ब हेतु जो कारण व आधार बताये है जो असत्य अविश्वसनीय एवं आधारहीन है। इसलिए अपीलांट अपील दायरी में हुए विलम्ब की माफी का हकदार नहीं है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर) के समक्ष दिनांक 21.01.2014 को वादग्रस्त भूमियों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाबत ही एक दावा संख्या 06/2014 उनवानी श्रीमती कमलादेवी बनाम ओमप्रकाश आदि प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में प्रस्तुत अपील की अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया था। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त वाद में पक्षकार बनाए जाने का आवेदन दिनांक 15.12.2014 को प्रस्तुत किया था तथा उक्त वाद में प्रतिवादीगण संख्या 5,6,7 भगवानाराम, बनवारी व फूलाराम द्वारा दिनांक 03.02.2014 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी भी प्रस्तुत किया था। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों में प्रस्तुत अपील में चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री का स्पष्ट उल्लेख किया था तथा प्रस्तुत अपील की अपीलांट द्वारा मय हस्ताक्षर जवाब भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी सन 2014 को होना स्वीकृत एवं रिकार्डेड तथ्य है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथन असत्य होना प्रमाणित है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा तथाकथित जानकारी का जो स्त्रोत बताया गया है वह भी विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि जब अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी ही नहीं है तो अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद में संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किये जाने के बारे में जानकारी कैसे हो गई। कोई भी स्पष्टीकरण आवेदन में अंकित नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा तथाकथित जानकारी के पश्चात अपील दायरी में हुए प्रत्येक दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, इस कारण से भी आवेदन काबिले खारिज है। अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के आवेदन के बिना प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया संतोष द्वारा अपीलांट के पिता ओमप्रकाश के विरूद्ध उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। विवादित भूमि में वादिया ने पैतृक आधार पर खातेदारी की उद्घोषणा चाही थी। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 16.08.2013 को विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्री कमला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की ओर से धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। पैतृक आधार पर विवादित भूमि में अपीलांट का प्रथम दृष्टया हक हिस्सा है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। प्रकरण अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में लिपिकीय संहवन से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय में भी धारा 225 में ही दर्ज की गई है। इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि सम्मत होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील 225 के स्थान पर धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार मू.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर